अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-6025/नौ-5-13-301सा/2013

प्रेषक,

सी.बी. पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 13 सितम्बर, 2013

विषयः प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु "समग्र नीति"।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1, उ.प्र. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-280/62-1-2013-7डब्लूपी-2004-टीसी-।।।, दिनांक-18.02.2013 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक व शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूजल संसाधनों पर उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता के दृष्टिगत एवं इस संसाधन के विवेकयुक्त उपयोग, विनियमित दोहन और प्रभावी संरक्षण के उददे्श्य से **"प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति"** तत्काल रूप में प्रभावी की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **"प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति"** के प्राविधानों/मार्ग-निर्देशों का कियान्वयन और अनुपालन विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. **"प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति"** नगर विकास विभाग की बेबसाइट-www.urbandevelopment.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि सलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने से **"प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति"** की प्रति समस्त नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रेषित कराने का कष्ट करें।
2. लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1
3. नगर विकास विभाग, कम्प्यूटर सेल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश एवं **"प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति"** को नगर विकास विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।